



दिनांक : 14.06.2023

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION



श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA मुख्य कार्यालय/Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066 Website: www.epfindia.gov.in, <u>www.epfindia.nic.in</u>



सं. पेंशन/पीओएचडब्ल्यू/23/परिपत्र-26(6)/139610/1648

सेवा में.

सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आंचलिक कार्यालय सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त/ प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय

विषय: माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के फैसले का कार्यान्वयन-ईपीएफ योजना, 1952 के 26(6) के तहत विकल्प/संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए आवेदन-नियोक्ता द्वारा विधिवत सत्यापित-संयुक्त विकल्पों का प्रमाण-स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची- के बारे में।

महोदया/ महोदय,

परिपत्र क्रमांक पेंशन/2022/54877/15149 दिनांक 29.12.2022, पेंशन/2022/54877/15238 दिनांक 05.01.2023, पेंशन/2022/56259/16541 दिनांक 20.02.2023, पेंशन/सुप्रीम कोर्ट/जजमेंट/ एचएमपी/2022/406 दिनांक 23.04.2023 और विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन भरने के लिए उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन फॉर्म का संदर्भ ग्रहण करें।

- 2. इस संदर्भ में, सभी हितधारकों से स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची के संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिन्हें जांच और निपटान के उद्देश्य से ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 26(6) के तहत विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदनों की जांच और निपटान के उद्देश्य से संयुक्त विकल्प के प्रमाण के रूप में माना जा सकता है।
- 3. जबिक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि के मामले में 2022 की सिविल अपील संख्या 8143-8144 [एसएलपी (सी) संख्या 8658-8659, 2019) में अपना निर्णय दिनांक 04 नवंबर, 2022 को सुनाया था। संगठन और अन्य बनाम सुनील कुमार बी और अन्य, टैग किए गए अन्य मामलों के साथ, निर्णय के पैरा 44 (iv) में आयोजित और निर्देशित किया गया कि:

"योजना के सदस्य, जिन्होंने पेंशन योजना के अनुच्छेद 11(3) के प्रावधान के अनुसार विकल्प का प्रयोग नहीं किया था (जैसा कि 2014 के संशोधन से पहले था) संशोधन के बाद की योजना अनुच्छेद 11(4) के तहत विकल्प का प्रयोग करने के हकदार होंगे। 1 सितंबर 2014 से पहले विकल्प चुनने का उनका अधिकार आर.सी. गुप्ता (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले में स्पष्ट हो गया है।

1 सितंबर 2014 से पहले जो योजना थी, उसमें किसी कट-ऑफ तारीख का प्रावधान नहीं था और इस प्रकार वे सदस्य योजना के पैराग्राफ 11(4) के संदर्भ में विकल्प का प्रयोग करने के हकदार थे, जैसा कि वर्तमान में है, उनके विकल्प का प्रयोग संयुक्त विकल्पों की प्रकृति में होगा, जिसमें पेंशन योजना के पूर्व-संशोधित पैराग्राफ 11(3) के साथ-साथ संशोधित पैराग्राफ 11(4) भी शामिल है। संशोधन के बाद की योजना की वैधता के संबंध में अनिश्चितता थी, जिसे तीन उच्च न्यायालयों के पूर्वोक्त निर्णयों द्वारा रद्द कर दिया गया था, इस प्रकार, वे सभी कर्मचारी जिन्होंने विकल्प का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन वे ऐसा करने के हकदार थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा कट-ऑफ की व्याख्या के कारण ऐसा नहीं कर

सके। उन्हें अपने विकल्प का प्रयोग करने के लिए एक और मौका दिया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में योजना के पैराग्राफ 11(4) के तहत विकल्प चुनने का समय चार महीने की अतिरिक्त अविध के लिए बढ़ा दिया जाएगा। हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए यह निर्देश दे रहे हैं, संशोधित प्रावधान के अनुसार बाकी आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाएगा।"

- 4. जबिक कभिन एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार परिपत्रों और ऑनलाइन संयुक्त विकल्प फॉर्म के तहत क.भ.नि. योजना, 1952 के पैरा 26(6) के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकताएँ पूर्ण की जानी है।
 - i. परिपत्र संख्या पेंशन/2022/54877/15149 दिनांक 29.12.2022 के पैरा संख्या 7 (vi) (ए) में

''ईपीएफ योजना के 26(6) के तहत नियोक्ता द्वारा विधिवत सत्यापित संयुक्त विकल्प का प्रमाण''

- (ii) परिपत्र संख्या पेंशन/2022/56259/16541 दिनांक 20.02.2023 के पैरा 6 (vii) में ''कभिन योजना के पैरा 26(6) के तहत नियोक्ता द्वारा विधिवत सत्यापित संयुक्त विकल्प का प्रमाण ''
- (iii) ''यदि हां, तो कृपया कभिन योजना के पैरा 26(6) के तहत ऑनलाइन संयुक्त विकल्प फॉर्म के बिंदु संख्या 10 और 11 में अनुमित संलग्न करें."
- 5. जबिक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां पैरा 26(6) के तहत संयुक्त अनुरोध/बचनबध/अनुमित अधिकांश आवेदकों के पास आसानी से उपलब्ध नहीं है, जिन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के फैसले के तहत कवर किए गए विकल्प/संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए आवेदन दायर किया है।
- 6. तदनुसार, केवल उन आवेदकों के मामले में जो पैरा 26(6) के संबंध में जांच के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के फैसले के निर्देशों के अनुसार उच्च वेतन पर पेंशन के लिए पात्र हैं, निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है:
- (i) फील्ड कार्यालय सत्यापन करेंगे;
 - क) 5000/6500/15000 रुपये प्रतिमाह की प्रचलित वैधानिक वेतन सीमा से जिस दिन कर्मचारी का वेतन अधिक हो गया है, वेतन वेतन सीमा से अधिक होने के दिन से या या 16.11.95 जो भी बाद में हो, से आज तक/सेवानिवृत्ति या सेवानिवर्तन की तिथि तक, जैसा भी मामला हो, भविष्य निधि अंशदान का नियोक्ता हिस्सा और कर्मचारी के वेतन पर भेज दिया गया है, और

ख) ऐसे उच्च वेतन पर नियोक्ता द्वारा देय प्रशासनिक शुल्क जमा कर दिया गया है; और

- ग) कर्मचारी के भविष्य निधि खाते को ऐसे प्राप्त अंशदान के आधार पर कभनि योजना, 1952 के पैरा 60 के अनुसार ब्याज के साथ अद्यतन किया गया है; और
- घ) पैरा 26(6) के तहत संयुक्त विकल्प और अनुमित के प्रमाण के रूप में विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज जमा किया गया है।
 - विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन के साथ नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत वेतन विवरण
 - नियोक्ता द्वारा प्रमाणित कोई भी वेतन पर्ची पत्र
 - नियोक्ता से संयुक्त अनुरोध और बचनबध की प्रति

- भविष्य निधि कार्यालय से 04.11.2022 से पहले जारी पत्र जिसमें उच्च वेतन पर भविष्य निधि अंशदान का उल्लेख किया गया हो
- (ii) जो आवेदक उपरोक्त (i) अर्हता प्राप्त करते हैं और पहले से ही अंशदान दे रहे हैं/वास्तिवक (उच्च) वेतन पर सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता तक अंशदान कर चुके हैं, यदि उन्होंने अपने संयुक्त अनुरोध और नियोक्ता का वचन पत्र जमा नहीं किया है, तो वे इसे अंतिम दावा निपटान जमा करने के समय उनके अंतिम नियोक्ता के माध्यम से जमा कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के अनुसार उच्च वेतन पर पेंशन प्राप्त करने से पहले पेंशनभोगियों/सदस्यों द्वारा किसी भी समय पैरा 26(6) (प्रोफॉर्मा संलग्न) के तहत नियोक्ता का संयुक्त अनुरोध और वचन पत्र अनुमित के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।
- 7. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, भविष्य निधि छूट प्राप्त स्थापना के आवेदकों से प्राप्त विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदनों पर भी उपरोक्त उसी तरह लागू होगा।

[केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से जारी]

भवदीया,

ह./-(अपराजिता जग्गी) क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त- I (पेंशन)

प्रतिलिपि:

- 1) सूचना के लिए माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री के पीपीएस ।
- 2) सभी सीबीटी सदस्यों को सूचना के लिए
- 3) श्रम सचिव, भारत सरकार के निजी सचिव
- 4) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव
- 5) श्री समीर कुमार दास, भारत सरकार के अवर सचिव
- 6) वित्तीय एवं मुख्य लेखाधिकारी, मुख्य सतर्कता अधिकारी, निदेशक पीडीनास, आं.प्र.सं.
- 7) अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त (मुख्यालय) (ऑडिट) आंतरिक ऑडिट पार्टियों द्वारा उच्च वेतन पर पेंशन से संबंधित पीपीओ के 100% ऑडिट के लिए।
- 8) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त (मुख्यालय) एवं मुख्य कार्यालय स्थित अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त ।

कभनि योजना 1952 के पैराग्राफ 26(6) के तहत संयुक्त अनुरोध के लिए प्रपत्र

(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं अन्य बनाम सुनील कुमार बी एवं अन्य के मामले में 2022 के सिविल अपील नंबर 8143-8144 [एसएलपी (सी) नंबर 8658-8659 ऑफ 2019] में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले, दिनांक 04 नवंबर, 2022 के कार्यान्वयन के लिए)

सेवा में,

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय

मैं......कभिन योजना, 1952 का एक मौजूदा सदस्य हूं मेरे पास यूएएन है...मैंने पैराग्राफ 26(6) के प्रावधानों के साथ-साथ योजना के पैराग्राफ 2 के तहत 'वेतन' की परिभाषा को पढ़ और समझ लिया है। मैं वैधानिक वेतन सीमा (वर्तमान में 15,000 रुपये प्रति माह) से अधिक वास्तविक (उच्च) वेतन पर अपने क.भ.नि. में अंशदान करना चाहता हूं और तदनुसार, मैं अपने वास्तविक (उच्च) वेतन पर अंशदान करने का विकल्प प्रस्तुत करता हूं।

या

मैं उपर्युक्त कर्मचारी के संबंध में कभनि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 2 (ई) के प्रावधानों के अनुसार नियोक्ता होने के नाते जो वैधानिक वेतन सीमा से अधिक वास्तविक वेतन पर अंशदान का भुगतान कर रहा है/मौजूदा सदस्य जिनका वास्तविक वेतन वैधानिक वेतन सीमा से अधिक है, के लिए एक संयुक्त अनुरोध प्रस्तुत कर रहा हूं। जगह:

नियोक्ता

हस्ताक्षर का नाम, नियोक्ता का पदनाम

कर्मचारी का नाम और हस्ताक्षर

(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं अन्य बनाम सुनील कुमार बी एवं अन्य के मामले में 2022 के सिविल अपील नंबर 8143-8144 [एसएलपी (सी) नंबर 8658-8659 ऑफ 2019] में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले, दिनांक 04 नवंबर, 2022 के कार्यान्वयन के लिए)

नियोक्ता द्वारा वचनबद्धता

मैं उपर्युक्त कर्मचारी के संबंध में कभनि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 2 (ई) के
प्रावधानों के अनुसार नियोक्ता होने के नाते, उक्त कर्मचारी के संबंध में ईपीएफ योगदान के लिए
निर्धारित दरों पर, जिसमें वैधानिक वेतन सीमा से अधिक वेतन पर उसका योगदान भी शामिल है .
पर देय प्रशासनिक शुल्क का भुगतान करने का वचन देता हूं ।

मैं......से ऐसे कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत सभी वैधानिक प्रावधानों का और उसके तहत बनाई गई योजनाओं का अनुपालन करने का वचन देता हूं।

दिनांक :

स्थान

नियोक्ता के हस्ताक्षर

नियोक्ता का नाम, पदनाम

(कार्यालय के उपयोग के लिए)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

उपरोक्त संयुक्त अनुरोध को स्थापना के रिकॉर्ड और कर्मचारी/सदस्य के खाते में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है।

स.लि.

ले.अधि.

स.भ.नि.अ.

सेवा में,

नियोक्ता (स्थापना) को सदस्य को सूचनार्थ